International Journal of Applied Research 2020; 6(10): 395-399

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(10): 395-399
www.allresearchjournal.com
Received: 05-08-2020
Accepted: 07-09-2020

राजीव रंजन
षिक्षक, +2 राज राजेष्वरी उच्च विद्यालय, सूर्यपुरा, रोहतास, बिहार, भारत

Corresponding Author:
राजीव रंजन
षिक्षक, +2 राज राजेष्वरी उच्च विद्यालय, सूर्यपुरा, रोहतास, बिहार, भारत

भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति

राजीव रंजन

सारांश
भारतीय महिला का बाहरी कार्य क्षेत्र में पदार्पण करना (गाँवो में कृषि सम्बन्धी कार्य छोड़ कर) समाज की दृष्टि में अभी कुछ दशक पहले तक वांछनीय नहीं था। लेकिन स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के प्रसार द्वारा वैज्ञानिक सोंच ने उन्हें रुढियों को तोड़ कर आत्म निर्भर बन कर जीने की प्रेरणा दी। फिर कुछ पाश्चात्य प्रभाव ने भी महिलाओं को प्रबुद्ध आत्म चेतना के साथ–साथ विचारो की उन्मुक्तता सौपीं इन कारणों में सबसे बढ कर दो कारण ऐसे है, जिन्होंने वास्तविक अर्थो में,भारतीय जमींन से जुड़ी ग्रामीण और शहरी सोच की दिशा ही बदल दी, और जिसके कारण स्त्री आर्थिक हैसियत में पुरुषो की समानांतर रेखा बन गई। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है, उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम, कायदे, कानून पुरुषों के हितों को ध्यान में रख कर बनाये जाते रहे। सदियों तक देश में विदेशी शासन होने के कारण उनकी समस्याओं की कही कोई सुनवाई भी नहीं की गयी, शिक्षा के अभाव में वे इसे ही अपना नसीब मान कर सहती रहती थी। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण भी महिलाओं को कभी भी सम्मान से नहीं देखा गया। अक्सर परिवार में पुत्री के होने को ही अपने दुर्भाग्य की संज्ञा दी जाती रही है।

शब्द संकेत : महिला, आर्थिक, अपमान, समस्या, कुरीति एवं समाज।

प्रस्तावना:
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है, उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम, कायदे, कानून पुरुषों के हितों को ध्यान में रख कर बनाये जाते रहे। खेलने और शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में बेटियों की शादी कर देना और फिर बाल्यावस्था में ही गर्भ धारण कर लेना, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता रहा है। महिला को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना कर रखा गया (आज भी पिछड़े क्षेत्रों में यह परम्परा जारी है)। परिणाम स्वरूप प्रत्येक महिला अपने जीवन में दस से बारह बच्चो की माँ बन जाती थी, इस प्रक्रिया के कारण उन्हें कभी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता था। अनेकों बार,कमजोर शरीर के रहते गर्भ धारण के दौरान अथवा प्रसव के दौरान उन्हें अपना जीवन भी गवाना पड़ता था, स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण जीवन अनेक बीमारियों के साथ व्यतीत करना पड़ता था। सदियों तक देश में विदेशी शासन होने के कारण उनकी समस्याओं की कही कोई सुनवाई भी नहीं की गयी, शिक्षा के अभाव में वे इसे ही अपना नसीब मान कर सहती रहती थी। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण भी महिलाओं को कभी भी सम्मान से नहीं देखा गया। अक्सर परिवार में पुत्री के होने को ही अपने दुर्भाग्य की संज्ञा दी जाती रही है। बहू के मायके वालों के साथ अपमान जनक व्यवहार आज भी जारी है.इसी कारण परिवार में लड़की के जन्म को टालने के लिए हर संभव प्रयास किये जाते रहे, जो आज कन्या भ्रुण हत्या के रूप में भयानक रूप ले चुका है। देश को आजादी मिलने के पश्चात् भारतीय संविधान ने महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाते हुए, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये, और आजाद देश की सरकारों ने महिलाओं के हितों में समय समय पर अनेक कानून बनाये, शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया और बच्चियों को पढने के लिए प्रेरित किया गया इस प्रकार से जनजागरण होने के कारण महिलाओं ने अपने हक को पाने के लिए और पुरुषों द्वारा किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध अनेक आन्दोलनो के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की,और समाज में पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। देश में महिला के हितों के लिए महिला आयोग का गठन किया गया, जो महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय के लिये संघर्ष करती है,उनके कल्याण के लिए शासन और प्रशासन से संपर्क कर महिलाओं की समस्याओं का समाधान कराती हैं।
२०१२ में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कामकाजी महिलाओं की कुल भागीदारी मात्र २७ प्रतिषत है. अर्थात इतना सब कुछ होने के बाद भी, आज भी महिलाओं की स्थिति में बहुत कुछ सुधार की

आवश्यकता है, अभी तो अधिकतर महिलाओं को यह आभास भी नहीं है की वे शोषण का शिकार हो रही हैं और स्वयं एक अन्य महिला का शोषण करने में पुरुष समाज को सहयोग कर रही है। महिलाओं को परिवार और समाज में अपना सम्मान पाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर होने की सलाह दी जाती है। यद्यपि प्राचीन काल से मजदूर वर्ग की महिलाये अनेक प्रकार के काम काज करती रही हैं, कुछ क्षेत्रों में जैसे घरों, सड़कों इत्यादि की साफ सफाई, कपडे धोना, नर्सिंग (दाई), सिलाई बुनाई, खेती बाड़ी सम्बन्धी कार्य इत्यादि में तो इनका एकाधिकार रहा है अतिशिक्षित परिवारों, एवं उच्च शिक्षित परिवारों की महिलाएं पहले से ही उच्च पदों पर आसीन होकर कामकाज करती रही हैं. जहाँ तक उच्च शिक्षित परिवारों की महिलाओं की बात की जाय तो उन परिवारों में महिलाएं अपेक्षाकृत हमेशा से ही सम्मान प्राप्त रही हैं। परन्तु मजदूर वर्ग में शिक्षा के अभाव में रूढीवादी समाज के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी अपमानित होती रहती थीं और आज भी विशेष बदलाव नहीं हो पाया है। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने, और शिक्षित होने के चलते मध्य वर्गीय परिवार की महिलाएं भी नौकरी, दुकानदारी अर्थात व्यापार, ब्यूटी पारलर,डॉक्टर जैसे व्यवसायों में पुरुषो के समान कार्यों को अंजाम देने लगी हैं. डॉक्टर, वकील, आई. टी., सी. ए., पुलिस जैसे क्षेत्रों में आज महिलाओं की बहुत मांग है।

आर्थिक विकास के बावजूद देश की श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है। 2004–05 से लेकर 2011–12 के बीच देश में लगभग दो करोड़ कामकाजी महिलाओं ने काम छोड़ दिया। कुछ समय पहले अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी से भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई थी। उसके अनुसार 2017 के शुरुआती चार महीनों में कामकाजी लोगों में नौ लाख से ज्यादा पुरुष जुड़े, जबकि इसी दौरान कामकाजी महिलाओं की संख्या में 24 लाख की कमी देखी गई।

इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी–20 देशों में कामकाजी महिलाओं की संख्या के हिसाब से सिर्फ सऊदी अरब ही भारत से पीछे है. 2013 में दक्षिण एशिया में महिला रोजगार के मामले में भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही आगे था । भारत में कुल कामकाजी महिलाओं का लगभग 81 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं है। इसमें स्थाई और अस्थाई दोनों तरह की कामगार शामिल हैं। गांवों में काम करने वाली लगभग 56 प्रतिशत महिला निरक्षर है। वहीं शहरी इलाकों में काम करने वाली कुल महिलाओं में 28 फीसदी अशिक्षित हैं। कुल कामकाजी महिलाओं में 81 फीसदी ग्रामीण और उसमें भी ज्यादातर महिलाओं का निरक्षर होना दो संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। एक, या तो भारत में शिक्षित और सक्षम महिलाओं से ज्यादा निरक्षर और अकुशल महिलाओं की मांग ज्यादा है (क्योंकि वे पुरुषों की अपेक्षा सस्ती श्रमिक होती हैं) या फिर कुशल महिलाओं के पास काम करने के विकल्प निरक्षर महिलाओं से काफी कम है।

असल में जो शिक्षित शहरी महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं उन्हें अक्सर ही शादी के बाद काम करने की आजादी नहीं होती। कई बार तो शादी के बाद जगह बदलने के कारण खुद ही उनकी नौकरी छूट जाती ह। और बहुत बार ससुराल वालों को ही अपनी बहू का नौकरी करना स्वीकार नहीं होता। वैसे कार्यस्थल पर यौन शोषण एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसका सामना हर जगह की महिलाओं को करना होता है, फिर चाहे वह गांव हो या शहर या फिर महानगर है लेकिन तुलनात्मक रूप से इस मामले में शहरी महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक अन्य बात यह भी है कि ठीक आर्थिक स्थिति वाले घरों में, कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटना की खबर सुनने के बाद इस बात की प्रबल संभावना होती है कि फिर से महिला को काम पर न ही भेजा जाए। जबकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले घरों में महिलाओं पर कैसी भी असुविधाजनक और अनचाही परिस्थितियों में काम करते जाने का दबाव होता है।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षाः

भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति से संबंधित समस्याओं की ओर मनोवैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ है, और इस क्षेत्रों में अनेक अध्ययन किए गए है। कुछ प्रमुख अध्ययनों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

त्रिवेदी (2010) [1] के अध्ययनों के अनुसार भारतीय महिलाएं जब घर से बाहर कार्य करने को निकलती है तो पारंपरिक रिति–रिवाज में रहने के बाद भी उसे कई तरह की प्रताड़नाओं एवं हिंसाओं का सामना करना पड़ता है।

मेहता एवं सिमिस्टर (2010) [3] के अध्ययनों के अनुसार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में बलात्कार के अलावा पति एवं पति के परिवार द्वारा तरह–तरह की यातनाएं दी जाती है। इस तरह के अत्याचार दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है।

तस्मीन (2006) [5] के अध्ययनों के अनुसार भारत में महिलाएं अपने अधिकार के प्रति अब सजग रहने लगी है फिर भी उन्हें तरह–तरह की यातनाएं दी जाती है। तथा संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है।

हृद मैन (2003) [2] के अध्ययनों के अनुसार घर की जिम्मेदारी के साथ–साथ बच्चों के पालन–पोषण भी महिलाओं का पहला दायित्व समझा जाता है तथा अर्थोपार्जन के लिए भी उसे प्रेरित किया जाता है जिसके कारण महिलायें हमेशा तनाव में रहती है और घर से लेकर कार्य स्थल तक उन्हें कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्यः

भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति के अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित हैः

- इस अध्ययन के आधार पर भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्त्तमान अध्ययन के आधार पर भारत में कामकाजी महिलाओं के साथ अत्याचार की स्थिति का अन्वेषन किया गया है।

अध्ययन पद्धति :

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र–पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

वर्णन एवं विष्लेषण :

भारतीय महिला का बाहरी कार्य क्षेत्र में पदार्पण करना (गाँवो में कृषि सम्बन्धी कार्य छोड़ कर) समाज की दृष्टि में अभी कुछ दशक पहले तक वांछनीय नहीं था। लेकिन स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के प्रसार द्वारा वैज्ञानिक सोंच ने उन्हें रुढियों को तोड़ कर आत्म निर्भर बन कर जीने की प्रेरणा दी। फिर कुछ पाश्चात्य प्रभाव ने भी महिलाओं को प्रबुद्ध आत्म चेतना के साथ–साथ विचारो की उन्मुक्तता सौपीं इन कारणों में सबसे बढ कर दो कारण ऐसे है, जिन्होंने वास्तविक अर्थो में, भारतीय जमींन से जुड़ी ग्रामीण और शहरी सोच की दिशा ही बदल दी, और जिसके कारण स्त्री आर्थिक हैसियत में पुरुषो की समानांतर रेखा बन गई। पहला है–दहेज के लिए की जाने वाली क्रूरतम हत्याओं

की अनवरत श्रृंखलाएं। और दूसरा कारण है –महँगाई की खतरे के निशान से ऊपर पहुँचती बेतहाशा बेलगाम वृद्धि।

आज जनसँख्या दर में १००० पुरुषो के अनुपात में ८३४ महिलाएँ ही रह जाती है। ६० प्रतिशत पुरुष यह जान कर कि गर्भ में कन्या भ्रूण है, उसे वही समाप्त करने का निर्णय लेने में तनिक भी नहीं हिचकते। यदि यही स्थिति बनी रही, तो एक दिन पुरुषो के बजाय महिलाओं को दहेज का 'सामाजिक अधिकार 'मिलने लगेगा। इन्ही राजनैतिक ,सामाजिक,पारिवारिक, दुर्व्यवस्थाओ ने नारी को स्वावलंबी बनने का स्वप्न दिया है। जिसे आज साकार करके अपनी क्षमता व शक्ति से वह आत्मकल्याण करते हुए राष्ट्र व परिवार, समाज के हित को भी समर्पित है। मूलतःपरतंत्र आर्थिक जीवन ही सारी समस्याओं की जड़ है, इसे आज की नारी अच्छी तरह समझ चुकी है ।

गाँवो में ५१ प्रर्तिशत रोजगार महिलाओंको मनरेगा से मिलता है । कामकाजी महिलाओं में २० प्रतिशत संगठित क्षेत्र में, और १८पर्तिशत पब्लिक सेक्टर में, और २४ प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। कुल मिला कर अब तो विकास शील भारत के, निर्माण में महिलाओं की उर्जा शक्ति का, इतना बड़ा भाग क्रिया शील है, कि यदि इस शक्ति को, घटा कर, बचे भारत का कोई समीकरण हल करें, तो शून्य ही बच सकेगा। आज महिला वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, इंजी नियर, वकील, प्रोफेसर, व्यवसायी, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट जैसे सम्मानित क्षेत्रों में हजारों की संख्या में है। यहाँ तक कि भारत की शीर्षस्थ प्रशासनिक सेवाएँ, आई.,ए.एस.व पी.सी.एस. में यह संख्या कम नही। राजनैतिक परिदृश्य में तो भारतीय महिलाआँ ने विश्व में अपना परचम लहराया है। और इतिहास में वे अपना स्थान सदैव के लिए आरक्षित कर चुकी है।

कहा जाता है कि महिलाओं के मस्तिष्कीय कोशो का विकास कुछ इस ढंगसे हुआ है, कि वह भाषा, साहित्य, कला, संगीत जैसे विषयों पर तो मूर्धन्य विद्वता प्राप्त कर सकती है, किन्तु विज्ञान, गणित, और उच्च श्रेणी की टेक्नोलोजी उसकी समझ से परे है, किन्तु इन क्षेत्रों में भी महिलाओ की अच्छी संख्या, और सफल उपस्थिति पुरुषो की इस गर्वोक्ति की निरर्थकता ही सिद्ध करती है। वस्तुतः इस कथन का सार मात्र इतना ही था, कि महिलायें प्रकृति से सृजन शील व्यक्तित्व के कारण अति संवेदन शील, भावुक व मोहमयी होती है। इसी लिए उनका ह्रदय हमेशा उनके मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। किन्तु यह उनका दोष नहीं अपितु गुण ही कहा जायेगा। क्योंकि इसी ममतालु ह्रदय की वत्सलता के कारण वे उच्च तम शिखर पर पहुँच कर भी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरूपयोग करने से बचती है। क्योंकि नारी सबसे पहले माँ है, फिर और कुछ।

महिलाओं की योग्यता को हमारा समाज पुरुष प्रधान होने से सदैव कम ही आंकता है। केन्द्रीय मंत्रियो में ७८ मंत्री है जिसमे केवल १२ महिलायें है। सुप्रीम कोर्ट के २५ जजों में मात्र २ ही महिला जज है। देश के कोर्टो में ६१५जजो में कुल ५२महिला जज है। लगभग ४० प्रतिशत महिलाओं को घर के आर्थिक वितरण और समायोजन में कोई सह भागिता नही है। और पूरे देश भर में ४६ प्रतिशत महिलायें ऐसी है, जिन्हें निर्णय लेने की आजादी नहीं है।

महिलाओ की दशा के मामले में दुनिया भर में १८२ देशो में भारत १३६ नम्बर पर है। इतनी विषमताओंके बावजूद स्त्री ने अपने पाँव अंगद की तरह कामकाजी दुनिया में टिका रखे है, जिसे हटा पाना किसी भी पुरुष वादी सोंच के लिए असम्भव है आज नारी अपने दम और अपनी योग्यताओं के बल पर जीती रही है। और जीती रहेगी। महिलाएँ जब घरसे बाहर कार्य करती है, तो उन्हें ६से१० घंटो तक बाहर रहना पड़ता है। इस अवधि में उनकी गृह्व्यवस्था, व बच्चों का पालन पोषण शिक्षा–दीक्षा, जो भारत में मात्र गृहणी के हिस्से का ही कार्य माना जाता है, बहुत प्रभावित होता है । काम से वापस आई महिला, इतनी थकी, बोझिल ,और असहाय होती है कि तुरंत कोई भी अप्रिय स्थिति झेलना, या घरेलू कार्य करना, या असावधानियों के लिए उपालम्भ सुनना, उससे संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में परिवार चाहे, संयुक्त हो या एकल, जहाँ सारी अपेक्षायें सिर्फ उसी से रखी जाती है, तनाव बढता ही है। कभी–कभी यह तनाव कलह की उस सीमा तक चला जाता है, जब संयुक्त परिवार, विघटित होकर एकल में, और एकल परिवार टूट कर सम्बन्ध विच्छेद की प्रक्रिया में बिखरने लगते है ऐसी स्थिति में माँ बाप के बीच बढती दूरियाँ बच्चों के भविष्य को अधर में त्रिशंकु सा असहाय छोड़ देती है।

प्रायः परिवार में अपने परिश्रम के उपार्जन को महिला अपने ढंगसे खर्च भी नहीं कर सकती। कमाती वह है, पर हिसाब पति के पास होता है। कमाने के अतिरिक्त घर की, व पति बच्चों की, सार संभाल भी उसे ही करनी पडती है। मामूली कठिनाइयों में उसे अवकाश के लिए बाध्य किया जाता है। ये सब घर की छोटी –छोटी बातें बहार उसके काम के स्तर को लगातार प्रभावित करती रहती है, और इससे उसकी कार्य क्षमता भी घटती है। बाहर निकलने पर पुरूष सह कर्मियों से, परिचय व वार्तालाप भी बेहद सहज और स्वाभाविक है। किन्तु स्वस्थ मानसिकता का पति भी प्रायः ऐसे मौको पर सामान्य नहीं रह पाता। और बीमार मानसिकता के लोग तो बिना किसी तथ्य या दूरदर्शिता के, ही अपनी पत्नी के चरित्र हनन पर उतर आते है। जब घर के लोग ही इज्जत चौराहे पर नीलाम करने की साजिश में लगे हो, तो बाहरी व्यक्ति की व्यंगोक्तियो का प्रतिकार ही कौन करेगा ? ऐसी घटनाएँ भारत में ही ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ छोटे शहरों या कस्बो में, महिला का बाहर नौकरी करना अभी भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इन सतही सोचो के साथ, महिलायें प्रायः सामंजस्य नहीं बिठा पाती, और कुंठा, अवसाद का अनजाने ही शिकार होने लगती है, इसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण जब उसकी कार्य क्षमता पर ग्रहण लगता है, तो यही समाज, यही परिवार, और सहकर्मी ,आदि उसे निकम्मा, कामचोर, और अपने औरत होने का फायदा उठाने वाली ,कह कर उसे और भी गहरी उलझनों में फंसा देता है। इस तरह का फतवा जारी करने से पहले कोई भी उसके स्तर पर उसकी समस्या को सहानुभूति पूर्वक समझना भी नही चाहता।

महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव विशेषतः कृषि मजदूरी के क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। यह समस्या महिला कर्मी की सार्व भौमिक समस्या बन चुकी है। भले ही वह पुरुषो से अधिक लगन व परिश्रम से कार्य करे, लेकिन सुविधा वादी होने का उन्हें पक्षपात पूर्ण तर्क देकर, सदा उत्पीड़ित किया जाता है। कृषि कार्यो में महिलाओं की हिस्से दारी बहुत प्राचीन है। भारत के लगभग १० करोड़ खेतिहर मजदूरो में ४८प्रतिशत महिलायँ ही है। इतना अधिक प्रतिशत होने के बावजूद चूंकि महिला अपने हितो और अधिकारों के प्रति, खुद निश्चेष्ट, उदासीन, उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाती है, अतःश्रम कानून या अन्य दूसरे प्रयास, महिला संगठनों के नारे, उतने प्रभाव शाली सिद्ध नहीं हो पाते। यह भी एक खुला हुआ तथ्य है, कि आर्थिक स्तर के अतिरिक्त, शारीरिक स्तर पर भी महिलाओं का बहुत क्रूर शोषण होता है। ब्लैक मेलिंग, धमकी लालच या कोई अन्य मजबूरी उन्हें स्वयं भी कभी कभी ऐसे केसों में आगे बढने के लिये बाध्य कर देती है। लेकिन तब भी केवल गुनहगार उन्हें ही माना जाता है। पुरुष फिर अपने सत्ता धीश होने का फायदा उठाते हुए साफ बच निकलता है। कुछ केन्द्रीय व प्रशासनिक सेवाओंको छोड़ कर, उन्हें प्रसव अवकाश तक नही मिलता, या फिर भुखमरी उन्हें शीघ्र काम पर वापस आने के लिए बाध्य कर देती है। सेवा प्रतिष्ठानों में उनके स्वास्थ्य की देख रेख, जाँच के लिए, प्राथमिक स्तर पर भी सुविधा सुलभ नहीं होती। फलस्वरूप पैसा, व इलाज के अभाव में महिला श्रमिक घुट–घुट कर मरने को विवश रहती है।

दोहरा बोझ झेल रही हैं कामकाजी महिलाएंः

रोजगार के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों का वर्चस्व तोड़ रही हैं। खासकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के काम का दायरा बहुत बढ़ा है। लेकिन कामयाबी के बावजूद परिवार से जो सहयोग उन्हें मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है ।एसोचौम के सर्वे के अनुसार 78 फीसदी कामकाजी महिलाओं को कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसॉर्डर है। 42 फीसदी को पीठदर्द, मोटापा, अवसाद, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की शिकायत है। इसी सर्वे के अनुसार कामकाजी महिलाओं में दिल की बीमारी का जोखिम भी तेजी से बढ़ रहा है। 60 प्रतिशत महिलाओं को 35 साल की उम्र तक दिल की बीमारी होने का खतरा है. 32 से 58 वर्ष उम्र की महिलाओं के बीच हुए इस सर्वे के अनुसार 83 प्रतिशत महिलाएं किसी तरह का व्यायाम नहीं करती और 57 फीसदी महिलाएं खाने में फल–सब्जी का कम उपयोग करती हैं।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ दिशा शुक्ला का कहना है कि सिर्फ लाइफस्टायल डिसॉर्डर ही नहीं बल्कि कामकाजी महिलाएं अन्य बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाती हैं। सेहत के प्रति लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। लापरवाही की बात को नकारते हुए कविता दास नौकरी और घर के बीच सामंजस्य को मुश्किल मानती हैं। उनके अनुसार, ''खुद के सेहत के लिए समय निकाल पाना मुश्किल है। खासतौर पर जब सास ससुर भी साथ रहते हैं।'' डॉ दिशा शुक्ला के अनुसार देश में महिलाओं में पॉलीसिस्टिस ओवेरिन सिंड्रोम यानी पीसीओएस की शिकायतें भी बढ़ रही है। यह समस्या कामकाजी महिलाओं में ज्यादा पायी जाती है. वे कहती हैं कि पीसीओएस से ग्रस्त हो जाने पर मरीज बार–बार बीमार पड़ता है। इससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

दोहरी जिम्मेदारियों की बोझ के चलते तनाव एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर चुकी महिलाओं को अब अपने लिए समय निकालने की जरूरत है. अर्चना सिंह कहती हैं कि अपनी स्थिति के लिए कुछ हद तक महिला खुद जिम्मेदार ह। खाना बनाने से लेकर बच्चों की परवरिश को वह अपनी प्राथमिकता मानती है। इस सोच में बदलाव जरूरी है। जिन घरों में पति या अन्य परिजन कामकाज में हाथ बंटाते हैं वहां महिलाओं का स्वास्थ अपेक्षाकृत बेहतर पाया जाता है। स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है इसलिए महिलाओं को तनाव मुक्त और काम के बोझ से मुक्त रखना परिवार की जिम्मेदारी है।

कामकाजी महिलाओं की समस्याएं :

परन्तु हमारे समाज का ढांचा कुछ इस प्रकार का है की महिला को कामकाजी होने के बाद भी नए प्रकार के संघर्ष से झूझना पड़ता है,अब उन्हें अपने कामकाज के साथ घर की जिम्मेदारी भी यथावत निभानी पड़ती है उसके लिए उन्हें सवेरे जल्दी उठ कर अपने परिवार अर्थात बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है, बच्चों के सभी कार्यों को शीघ्र निबटाना पड़ता है,उसके पश्चात् संध्या समय लौटने के बाद गृह कार्यों में लगना होता है। क्योंकि परिवार के पुरुष आज भी घर के कार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ घर की महिला की ही मानते हैं। कुछ पुरुष तो कुछ भी सहयोग करने को तैयार नहीं होते, यदि महिला उन पर दबाब बनाती है तो अक्सर पुरुषो को कहते सुना जाता है, की अपनी नौकरी अथवा कामकाज छोड़ कर घर के कार्यों को ठीक से निभाओं,महिला की जिम्मेदारी घर सँभालने की होती है। मजबूरन महिला दो पाटन के बीच पिस कर रह जाती है जो महिलाये आर्थिक रूप से सक्षम होती है वे अवश्य घर के कार्यों को निबटाने के लिए, बच्चो के कार्यों में सहयोग के लिए आया और कुक की व्यवस्था कर लेती हैं, परन्तु गरीब एवं अल्प मध्य वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए आज भी यह सब कुछ संभव नहीं है।

महिला के लिए नियोक्ता भी सहज नहीं दीखता,क्योकि हमारे देश के कानून में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नियोक्त पर होती है, वह उससे देर रात तक कार्य नहीं ले सकता, उसे सवेतन मातृत्व अवकाश भी देना होता है, पुरुष कर्मियों के समान भारी कार्यों को उन्हें नहीं सौंप सकता, व्यासायिक कार्यालय से बाहर के कार्यों को भी उनसे कराना उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जोखिम पूर्ण होता है इत्यादि। परन्तु अनेक पदों पर जैसे यात्रियों को घर जैसा अनुभव देने के लिए एयर होस्टेस, महिला एक ममता की प्रतिमूर्ति होने के कारण अस्पतालों में नर्स, आगंतुकों, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े वाणिज्यिक संस्थानों के स्वागत कक्ष में रिसेप्निष्ट, मार्केटिंग के लिए सेल्स गर्ल, छोटे छोटे ढाबो में ग्राहकों को घर के खाने जैसा स्वाद की कल्पना करने के लिए अधेड़ या बूढी महिला को नियुक्त करना,उनकी मजबूरी भी होती है.महिलाओं की ईमानदारी, बफादारी, कर्मठता के कारण भी महिलाओं की नियुक्ति करना नियोक्ता के हित में होता है।

घर में सम्मान पाने, घरेलु हिंसा से बचने, एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब एक महिला आत्म निर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उसे समाज और पुरुष सत्तात्मक सोच रखने वालों से सामना करना पड़ता है, अनेक लोगों की टीका टिप्पड़ियों,अर्थात तानाकशी, घूरती निगाहों से सामना करना पड़ता है। उद्दंड व्यक्तियों की छेड़खानियों से बचने के लिए उपक्रम करने होते हैं, कभी कभी तो बलात्कार और प्रतिरोध स्वरूप हत्या का शिकार भी होना पड़ता है। जब वह अपने कार्य स्थल अर्थात ऑफिस,फेक्ट्री पर पहुँचती है तो उसे अपने सहयोगियों और बॉस की दुर्भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। संध्या समय अपने कार्य स्थल से लौटते समय भी उसे अनेक अनहोनी घटनाओं की आशंका से ग्रस्त रहना पड़ता है. उसके मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना आज भी उसकी उसके लिए जीवन को कष्ट दायक बनाये हुए है।

पुलिस से भी उसे कोई सकारात्मक पहल की उम्मीद नहीं होती अनेक बार तो वह उनके दुर्व्यवहार का भी शिकार हो जाती है। महिलाओं को अपने वेतन के मामले में भी शोषण का शिकार होना पड़ता है, जब उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन के लिए कार्य करना पड़ता है।

पुरुष प्रधान समाज की सोच में अभी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, साथ ही हमारी लचर न्याय व्यवस्था के कारण,यदि कोई महिला सरेआम किसी अत्याचार का शिकार होती है तो समाज के लोग उसका बचाव करने से भी डरते हैं। अतः उसे समाज और भीड़ से भी अपने पक्ष में माहौल मिलने की सम्भावना कम ही रहती है. यदि यह कहा जाय की जिस शोषण की स्थिति से निकलने के लिए वह घर की चार दिवारी से बाहर आई थी, उस मकसद में सफल होना अभी दूर ही दिखाई देता है।

निष्कर्ष :

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में महिला की आकर्षण शक्ति का दुरूपयोग होता है, जैसे क्रिकेट में चीयर्स गर्ल। इसी भांति माडलिंग के क्षेत्र में स्वयं युवतियाँ अर्ध अनावृत देह यष्टि के माध्यम से बाजारू वस्तु बनकर, नेत्र दर्शन समारोह में अपने शरीर की, नुमाइश करके समस्त नारी जाति का सिर लज्जा से झुका देती है। यही कारण है कि अश्लील विज्ञापन बाजी थमने का नाम नही ले रही। स्त्री का विचार, व्यक्तित्व संपन्न होना, फूहड़ प्रदर्शन के स्थान पर शालीनता के साथ स्वयं को प्रस्तुत करना, उन्हें प्रोन्नति की नई राह पर ले जायेगा। नौकरी पेशा महिलाओं के पतियों को अपना दृष्टिकोण उदार बनाना पड़ेगा, रुदिवादिता व्यंग, असहयोग केवल भविष्य को अंधे कुंए में ढकेल सकता है, रोड़े अटकाने की अपेक्षा आत्मालोचन करे। सहधर्मिणी का सहयोग करे। कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक सोच, महिलाओं

की आर्थिक आजादी के प्रति लापरवाही, पुरुषों के महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और यौन हिंसा मिलकर महिलाओं की कामकाजी क्षमता को सबसे ज्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाले कारक हैं। असल में हमारा समाज अभी भी महिलाओं की आर्थिक आजादी के प्रति न तो सचेत है और न ही प्रतिबद्ध। ऐसे में महिला साक्षरता दर में वृद्धि, लड़कियों के साल दर साल स्कूलों में टॉप करने और उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी के कोई मायने नहीं है। शिक्षित, सक्षम और हुनरमंद महिलाओं का नौकरी न कर पाना न सिर्फ उनकी आर्थिक आजादी और व्यक्तित्व विकास के लिए एक भारी क्षति है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास की नजर से भी यह बहुत नुकसानदायक है।

संदर्भ :

1. Trivedi L. Women in India, Lynne Rienner Publishers, USA 2010;8:181-208.
2. Hirdman Y. Genus det Stabilas Föränderliga Former. 2ed. Malmö: Liber 2003, 46-47.
3. Mehta PS, Simister J. Gender Based Violence in India: Long-term Trends. Journal of Interpersonal Violence 2010;25(9):1594-1611.
4. Chaudhry L. Rape in the 'New India'. The Nation. February 2013, 4-5.
5. Tasmin B. Challenging the NGOs: Women, Religion and Discourses in India. London: I.B Tauris 2006, 88-90.